पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1479

दिनांक-18.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- **थाना पारा पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर करीब 200 मवेशियों को किया गया जब्त।।**

01- संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक **18.08.2026** को थाना पारा पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में **अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध विशेष अभियान** चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना पारा क्षेत्र के **डिप्टीखेड़ा मोहल्ला, हैदरकैनाल नाला, पिंकसिटी एवं गदियाना** में अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गयी।

संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त स्थानों से **करीब 200 मवेशियों (भैंसों) को जब्त** किया गया। साथ ही अवैध अतिक्रमण के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की गयी।

जब्त किए गए मवेशियों एवं अवैध अतिक्रमण के संबंध में **नगर निगम द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।**

02.फोटो-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1479

दिनांक-18.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- **थाना पारा पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर करीब 200 मवेशियों को किया गया जब्त।।**

01- संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक **18.08.2026** को थाना पारा पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में **अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध विशेष अभियान** चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना पारा क्षेत्र के **डिप्टीखेड़ा मोहल्ला, हैदरकैनाल नाला, पिंकसिटी एवं गदियाना** में अवैध रूप से संचालित डेयरियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गयी।

संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त स्थानों से **करीब 200 मवेशियों (भैंसों) को जब्त** किया गया। साथ ही अवैध अतिक्रमण के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की गयी।

जब्त किए गए मवेशियों एवं अवैध अतिक्रमण के संबंध में **नगर निगम द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।**

02.फोटो-

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1484
दिनांक-18.08.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा, लखनऊ

दिनांक 16.08.2026 को अवैध डेयरी संचालन एवं गंदगी फैलाने के विरुद्ध नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, नगर निगम के सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 05 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

- **अभियुक्तों द्वारा नगर निगम की कार्रवाई से बचने के लिए सरकारी वाहनों पर पथराव कर क्षतिग्रस्त करने तथा पुलिस टीम के साथ मारपीट एवं हमला करने का प्रयास किया गया था।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.08.2026 को थाना पारा क्षेत्रान्तर्गत गदियाना बादल खेड़ा, बुद्धेश्वर में अवैध रूप से संचालित डेयरी, अतिक्रमण एवं गंदगी फैलाने के विरुद्ध नगर निगम की टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ नियमानुसार कार्यवाही हेतु पहुंची थी। कार्यवाही के दौरान नगर निगम टीम द्वारा अवैध रूप से पाले जा रहे पशुओं को जब्त किए जाने एवं जुर्माना लगाए जाने की कार्यवाही से नाराज होकर अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर उग्र विरोध किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा नगर निगम के सरकारी वाहनों पर पथराव कर उनके शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए। मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने एवं अभियुक्तगण को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डंडे, लोहे की जंजीर आदि से लैस होकर पुलिस टीम पर हमला किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। उक्त घटना के संबंध में थाना पारा पर मु0अ0सं0 574/2026 धारा 191(3)/191(2)/190/109(1)/115(2)/352/351(3)/121(2)/132/324(3) बीएनएस एवं 2/3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम तथा 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के तत्काल बाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दो महिला अभियुक्ताओं आफरीन व खुशबुन को मौके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य अभियुक्त मौके का लाभ उठाकर फरार हो गए थे। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 18.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना पारा पुलिस टीम द्वारा गदियाना आदर्श विहार, बुद्धेश्वर क्षेत्र से निम्न 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

01-सराफत अली लाल बाल वाला पुत्र मो0 अली, **02-रिजवान** पुत्र उस्मान, **03-मो0 सलामुद्दीन अली** पुत्र सिरदार अली, **04-शहाबुद्दीन** पुत्र सिरदार अली, **05-मो0 इस्लाम** पुत्र सिरदार अली, को गदियाना आदर्श विहार बुद्धेश्वर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा दूध के व्यापार के उद्देश्य से अपने घरों पर काफी संख्या में भैंसें पालकर डेयरी संचालित की जा रही थी। अभियुक्तगण के पास डेयरी संचालन एवं पशुओं को रखने संबंधी वैध लाइसेंस/दस्तावेज नहीं थे। नगर निगम द्वारा पूर्व में भी अवैध पशुपालन एवं गंदगी के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

दिनांक 16.08.2026 को नगर निगम की टीम के पुलिस बल के साथ पहुंचने पर अभियुक्तगण को अपने पशुओं को जब्त किए जाने एवं जुर्माना लगाए जाने की आशंका हुई। इसी कारण अभियुक्तगण द्वारा पहले नगर निगम के वाहनों में तोड़फोड़ की गई तथा पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर लाठी-डंडे एवं लोहे की जंजीर आदि से हमला कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. सराफत अली लाल बाल वाला पुत्र मो0 अली निवासी सुरती खेड़ा थाना माल लखनऊ, हाल पता डिप्टी खेड़ा चन्द्रा एकेडमी के पीछे थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 42 वर्ष
2. रिजवान पुत्र उस्मान निवासी ग्राम बघौड़ा थाना औरास जनपद उन्नाव, हाल पता गदियाना आदर्श विहार, बुद्धेश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष
3. मो0 सलामुद्दीन अली पुत्र सिरदार अली निवासी ग्राम कांचारी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई, हाल पता डी-ब्लाक राजाजीपुरम, हैदर कैनाल नाला थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष
4. शहाबुद्दीन पुत्र सिरदार अली निवासी ग्राम कांचारी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई, हाल पता डी-ब्लाक राजाजीपुरम, हैदर कैनाल नाला थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष
5. मो0 इस्लाम पुत्र सिरदार अली निवासी ग्राम कांचारी थाना कासिमपुर जनपद हरदोई, हाल पता डी-ब्लाक राजाजीपुरम, हैदर कैनाल नाला थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04-सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0स0 574/2026 धारा 191(3)/191(2)/190/109(1)/115(2)/352/351(3)/121(2)/132/ 324(3) बी0एन0एस0 व 2/3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट थाना पारा कमि0 लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना पारा लखनऊ

1. श्री सुरेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री चेतन आजाद, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री पुनीत लोहिया, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 श्री विभोर सिंह, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. उ0नि0 श्री हर्ष यादव, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
6. हे0का0 मुनीर अहमद, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
7. हे0का0 तेजबहादुर, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
8. हे0का0 जितेन्द्र सिंह, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।
9. का0 बादल, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1475
दिनांक-18.08.2026

जोन-पश्चिमी / थाना-नाका हिण्डोला

- **थाना नाका पुलिस टीम की बड़ी उपलब्धि- ऑनलाइन फ्रॉड में पीड़ित के 1,70,000/- रूपये कराए वापस।**
- **साइबर हेल्प डेस्क टीम की त्वरित कार्यवाही एव तकनिकी विश्लेषण से फ्रॉड की धनराशि को किया गया सफलतापूर्वक ट्रेस।**
- **पीड़ित ने लखनऊ पुलिस व थाना नाका की पुलिस का जाताया आभार ।**

01-संक्षिप्त विवरण-

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एव अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग के निर्देशन मे एव थानाध्यक्ष नाका हिंडोला श्री विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व मे थाना नाका की साइबर टीम द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है|

इसी क्रम में दिनांक 06/08/2026 को पीड़ित श्री रवींद्र नाथ शुक्ल पुत्र स्व.त्रिभुवन दत्त शुक्ल निवासी 146/41 चरस मंडी निकट हाथीखाना थाना नाका हिंडोला लखनऊ ने बताया कि उनके पोते अयांश शुक्ल पुत्र श्री संदीप शुक्ल निवासी उपरोक्त के साथ यूट्यूब चैनल खरीदने के नाम पर पीड़ित के खाते से 1,70,000/- रुपये का फ्रॉड कर लिया है उक्त प्रकरण मे थाना नाका के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार सैनी द्वारा तत्परता दिखाते हुए **साइबर क्राइम पोर्टल पर पीड़ित की शिकायत दर्ज करायी** तथा थाना नाका की साइबर टीम द्वारा तकनीकी सूझबूझ , बैंकिंग ट्रांजेक्शन के विश्लेषण के आधार पर उक्त धनराशि को ट्रेस कर पीड़ित की सम्पूर्ण धनराशि को वापस कराया।

02-साइबर फ्रॉड कि धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 सतेन्द्र कुमार सैनी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।
- क0 आ0 प्रभात त्रिपाठी थाना नाका हिण्डोला लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1478
दिनांक-18.08.2026

जोन- उत्तरी / थाना-जानकीपुरम

- **थाना जानकीपुरम की पुलिस टीम द्वारा नाबालिक लड़की के साथ आपत्तिजनक कृत्य करने वाले 01 आरोपी/ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 30.06.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा शिकायत किया गया कि मेरी पुत्री उम्र लगभग साढें चार वर्ष के साथ उसके दादा राम रतन द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किया गया है, तत्काल उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 117/26 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 6 पाक्सो एक्ट में वाछिंत अभियुक्त राम रतन साहू पुत्र श्री बिसहुआ साहू पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 श्री हरिदास चौरसिया को सुपुर्द की गयी।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना जानकीपुरम की पुलिस टीम द्वारा वादिनी मुकदमा के बयान, घटना स्थल के निरीक्षण ,मेडिकल के अवलोकन के आधार पर अभियुक्त 1. राम रतन साहू पुत्र श्री बिसहुआ साहू निवासी हाल पता- एसएसई-201 सीतापुर रोड योजना सेक्टर सी अलीगंज एस0ओ0 थाना विकासनगर लखनऊ व अन्य पता 178 ए, आयुष विहार फेस 02, जानकी पुरम विस्तार थाना जानकीपुरम, लखनऊ स्थाई पता ग्राम रनवोड़ पोस्ट घोघरा थाना व तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा राज्य छत्तीसगढ़ उम्र करीब 63 वर्ष को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भवानी बाजार के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

03. अनावरित अभियोगों का विवरण:-

1. मु0अ0स0 117/26 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 6 पाक्सो एक्ट थाना जानकीपुरम लखनऊ।

04.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01-राम रतन साहू पुत्र श्री बिसहुआ साहू निवासी हाल पता- एसएसई-201 सीतापुर रोड योजना सेक्टर सी अलीगंज एस0ओ0 थाना विकासनगर लखनऊ व अन्य पता- आयुष विहार फेस 02, जानकी पुरम विस्तार थाना जानकीपुरम, लखनऊ उ0प्र0 स्थाई पता ग्राम रनवोड़ पोस्ट घोघरा थाना व तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा राज्य छत्तीसगढ़ उम्र करीब 63 वर्ष (व्यव्साय –राजमिस्त्री)

05.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 हरिदास चौरसिया
2. हे0का0 अजीत वर्मा
3. का0 हरिकेश यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1483
दिनांक-18.08.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर विस्तार

थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा मारपीट, जानलेवा हमला व वाहन क्षतिग्रस्त करने के मामले में प्रकाश मे आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा आदर्श सिंह पुत्र अजय प्रकाश सिंह निवासी मो0 ओरीजोत, पोस्ट गांधीनगर थाना कोतवाली बस्ती के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 03.01.2024 को थाना गो0विस्तार पर मु0अ0सं0-01/2024 धारा 147/148/307/427/34 IPC बावत विपक्षीगण द्वारा वादी के भाई अमन सिंह से मारपीट करते हुए धारदार हथियारों से हमला करना तथा वाहन KIA SONET UP32NL1787 को क्षति ग्रस्त करने के संबंध में पंजीकृत किया गया था।

मुकदमा उपरोक्त में 1. राहुल सोनी पुत्र विनोद सोनी 2. विकास पाल उर्फ हनुमान दास गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्त आशिफ उर्फ मो0 आसिफ इद्रीशी पुत्र मो0 अकरम नि0 सोढरी महसो थाना लालगंज जनपद बस्ती का नाम प्रकाश में आया जो लगातार वांछित चल रहा था।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभियुक्त आशिफ उर्फ मो0 आसिफ इद्रीशी उपरोक्त की तलाश सुरागरसी-पतारसी व **मा0 न्यायालय से प्राप्त NBW व धारा 82 सीआरपीसी/84 बीएनएसएस की कार्यवाही** के पश्चात उक्त मुकदमें के अभियुक्त– 01- अभियुक्त आशिफ उर्फ मो0 आसिफ इद्रीशी उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17.08.2026 को समय 16.20 बजे रौनाही टोल प्लाजा थाना रौनाही जनपद अयोध्या से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

01-मु.अ.सं. 01/2024 धारा धारा 147/148/307/427/34 IPC थाना गोमतीनगर विस्तार, जनपद लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशिफ उर्फ मो0आसिफ इद्रीशी पुत्र मो0अकरम निवासी सोढरी महसो थाना लालगंज जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष

04- बरामदगी -

- जामा तलाशी से प्राप्त 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल व 170 रुपये नकद

05-आपराधिक इतिहास–आशिफ उर्फ मो0 आसिफ इद्रीशी

1. मु0अ0सं0 283/2024 धारा 103(1)/115(2)/140(1)/191(2)/238/324(4)/333 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद बस्ती

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आयुष यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ (विवेचक)।
2. हे0का0 रामू यादव थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. कां0 विशाल सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. कां0 रविन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-1482

दिनांक-18.08.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा रंगदारी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **घटना में प्रयुक्त वाहन सीज ।**

01- संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 28.02.2024 को वादी मुकदमा श्री कुलदीप चौधरी पुत्र राम निहाल चौधरी निवासी ई 2/312 विनीतखण्ड गोमतीनगर लखनऊ द्वारा बावत - प्रतिवादीगण द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के मित्रगण को रास्ते मे रोककर, गाली गलौज, रंगदारी, व रंगदारी न देने पर मारपीट कर गंभीर चोट आ जाने व जान से मारने की धमकी देने, के विषयक के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 147/307/341/323/352/384/504/506 भादंवि बनाम 1. 01.गाडी नं0 UP32MZ8628 थार व UP32GP1521 I-20 गाडी सवार व्यक्ति 02.ब्रजेस यादव 03. प्रतीक यादव 04. विशाल यादव 05.विवेक यादव 06.फैजान अंसारी 07. सत्यम यादव 08.विकास यादव, पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 मारुफ आलम द्वारा की जा रही है।

उक्त अभियोग में थाना गोमतीनगर की पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर दिनांक 17.08.2026 को दयाल चौराहा थाना गोमतीनगर लखनऊ से अभियुक्तगण 01. फैजान अंसारी पुत्र अंसार अंसारी निवासी ई2/2/82 विराज खण्ड भरवारा क्रांसिग थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष 02. सत्यम यादव पुत्र श्यामबाबू यादव निवासी गली नं0 04 छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया व **घटना में प्रयुक्त वाहन UP32 GP 1521 (हुडई कम्पनी) रंग सफेद को सीज किया गया** व अभियुक्त गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्तगण **01- बृजेश यादव पुत्र रामसेवक यादव** निवासी प्रकाश बाल विद्या मन्दिर ग्राम डिगडिगा विशाल खण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 27 वर्ष व **02- विशाल यादव पुत्र ओमप्रकाश** यादव निवासी निकट विश्व संवाद केन्द्र जियामऊ थाना गौतमपल्ली लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष **को पूर्व में मा0न्यायालय के समक्ष भेजा जा चुका है**, अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जायेगी। **अभियुक्तो के अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।**

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 90/2024 धारा 147/307/341/323/352/384/504/506 भादंवि थाना गोमतीनगर लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

01. फैजान अंसारी पुत्र अंसार अंसारी निवासी विराज खण्ड भरवारा क्रांसिग थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 26 वर्ष
02. सत्यम यादव पुत्र श्यामबाबू यादव निवासी गली नं0 04 छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना गोमतीनगर लखनऊ-

1. उ0नि0 मारुफ आलम
2. उ0नि0 सागर चौधरी
3. उ0नि0 अशोक यादव
4. का0 अंकुर चौधरी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1481
दिनांक-18.08.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-बिजनौर

- **थाना बिजनौर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान का क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बिजनौर श्री कपिल गौतम द्वारा गठित पुलिस टीम ने थाना बिजनौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2026,धारा-319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्ता (तथाकथित मनीषा सिंह-रजिस्ट्रीकर्ता) वास्तविक नाम-नसीम बानो उर्फ नस्सो पत्नी स्व0 सदकत हुसैन को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-07.04.2026 को वादिनी श्रीमती मनीषा सिंह पत्नी शिला नाथ सिंह निवासिनी सौभाग्य एल्डिको उद्यान-2 रायबरेली रोड लखनऊ की लिखित तहरीर दी गयी। जिसमें नामित अभियुक्तगण 1. मनीषा सिंह (फर्जी) वास्तविक नाम नसीम बानो, 2.सीमा डंग, 3.सुभाष चन्द्र, 4.अंकित सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा की जमीन के साथ धोखाधड़ी करते हुये फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेच देना तथा उस पर लोन लेने के सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।
- अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के द्वारा दिनांक-18.08.2026 को अभियुक्ता (फर्जी मनीषा सिंह-रजिस्ट्रीकर्ता) वास्तविक नाम- नसीम बानो उर्फ नस्सो पत्नी स्व0 सदकत हुसैन को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शेष अभियुक्तगण की तलाश जारी है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडीः-

अभियुक्ता से पूछताछ की गयी तो उसने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब, मेरे द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपस में षड्यंत्र करके फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये थे, जिनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वास्तविक मनीषा सिंह के नाम एवं पहचान का दुरुपयोग करते हुए खुद को मनीषा सिंह बताते हुए उक्त नाम से फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करायी गयी। उसी भूमि पर हम लोगों द्वारा लोन लिया गया था, लोन से प्राप्त धनराशि को हम लोगों ने आपस में बाँट लिया था। साहब मुझसे गलती हो गयी,मुझे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-नसीम बानो उर्फ नस्सो पत्नी स्व0 सदकत हुसैन निवासी ब्लाक थाना इन्द्रिरा नगर लखनऊ, हाल पता बंगाली पीसीओ एरक स्कूल के पास कैम्पस रोड लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

- मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
- उ0नि0श्री तेजवीर सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
- म0उ0नि0 शशिबाला थाना बिजनौर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

ANTI HUMAN TRAFFICKING

प्रेस नोट सं0-1474

दिनांक-18.08.2026

अपराध शाखा / थाना ए.एच.टी. कमि0 लखनऊ

"तकनीकी विश्लेषण एवं साइबर असिस्टेंस से गुमशुदा बालक सकुशल बरामद"

01-कार्यवाही-

श्रीमान तरूण गाबा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, श्रीमती अपर्णा कुमार संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा गुमशुदा बच्चो की बरामदगी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अनिल कुमार यादव पुलिस उपायुक्त अपराध एवं श्रीमती किरन यादव, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध के कुशल निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त-अपराध के पर्यवेक्षण में थाना ए.एच.टी. लखनऊ की टीम द्वारा गुमशुदा बालक शिवांक रावत उम्र करीब 17 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण—

दिनांक **06.03.2026** को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी कमिश्नरेट लखनऊ पर वादी श्री मिथिलेश कुमार पुत्र मातादीन निवासी बगियामऊ, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा अपने पुत्र शिवांक रावत उम्र करीब 17 वर्ष के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में तहरीरी सूचना दी गयी थी, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की प्रारम्भिक विवेचना उ0नि0 विवेक कुमार मिश्रा, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा की गयी। तत्पश्चात संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के आदेश पर दिनांक **25.07.2026** को मुकदमे की विवेचना थाना ए.एच.टी. लखनऊ स्थानान्तरित की गयी। वर्तमान में विवेचना प्रभारी निरीक्षक दशरथ सिंह, थाना ए.एच.टी. द्वारा सम्पादित की जा रही है।

अपर पुलिस उपायुक्त अपराध श्रीमती किरन यादव द्वारा गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के सम्बन्ध में लगातार मॉनिटरिंग एवं आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए साइबर असिस्टेंस के माध्यम से गुमशुदा बालक के डिजिटल फुटप्रिंट एवं उपलब्ध तकनीकी इनपुट का गहन विश्लेषण कराया गया। बालक द्वारा अपने पुराने मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा था किंतु अपना सिम कार्ड बदल लिया गया था तथा घर से जाने के बाद वह होटल में काम करने लगा था, जिससे उसकी तलाश में साइबर एवं तकनीकी विश्लेषण महत्वपूर्ण साबित हुआ।

लगातार साइबर एवं तकनीकी विश्लेषण के दौरान प्राप्त डिजिटल इनपुट के आधार पर दिनांक **15.08.2026** को गुमशुदा बालक के मोबाइल की लोकेशन एन-सेक्टर, आशियाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। सूचना पर थाना ए.एच.टी. की टीम द्वारा तत्कालआशियाना क्षेत्र में पहुंचकर गुमशुदा बालक शिवांक रावत उम्र 17 वर्ष को सकुशल बरामद कर लिया गया।

03-पूछताछ में बालक द्वारा बताया गया—

पूछताछ में बालक ने बताया कि वह हाईस्कूल में फेल हो गया था तथा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। माता-पिता द्वारा पढ़ाई के लिए कहे जाने से नाराज होकर वह घर से चला आया था। घर से जाने के बाद उसने अपना सिम बदल लिया तथा आशियाना क्षेत्र में होटल में काम कर अपना जीवन-यापन करने लगा।

बालक के अनुसार वह रात में पुल के नीचे सो जाता था। तकनीकी माध्यम से उसकी लोकेशन ट्रेस होने के बाद पुलिस टीम द्वारा उसे आशियाना क्षेत्र से बरामद कर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लाया गया।

बरामद बालक को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त राजकीय बाल गृह (बालक), मोहन रोड में आवासित कराया गया तथा परिजनों से उसकी मुलाकात भी करायी गयी।

उल्लेखनीय है कि थाना ए.एच.टी. लखनऊ द्वारा गुमशुदा बच्चों की बरामदगी एवं मानव तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। **पूर्व में अलग-अलग प्रकरणों में मानव तस्करी के मामलों से जुड़े 13 बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया जा चुका है। वर्तमान प्रकरण में गुमशुदा बालक शिवांक रावत की सकुशल बरामदगी इस क्रम में 14वीं सफलता है।** लगातार मॉनिटरिंग, मार्गदर्शन एवं साइबर असिस्टेंस के माध्यम से डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण इस बरामदगी में महत्वपूर्ण रहा।" **- किरन यादव आईपीएस अपर पुलिस उपायुक्त अपराध कमि0 लखनऊ।**

04-बरामदगी—

01-अपराध संख्या- **13**5/2026 धारा- 137(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमि0 लखनऊ

02-गुमशुदा बालक शिवांक रावत, उम्र **17** वर्ष को सकुशल बरामद किया गया।

05-जनसामान्य से अपील—

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि यदि कोई बालक/बालिका किसी कारणवश घर से नाराज होकर चला जाता है अथवा गुम हो जाता है, तो परिजन तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें। बच्चों की सुरक्षा एवं उनकी सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस द्वारा उपलब्ध तकनीकी संसाधनों एवं डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

साथ ही, होटल, ढाबा, दुकान अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले नाबालिग बच्चों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को जानकारी प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि ऐसे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें उनके परिवार से मिलाया जा सके।गुमशुदा/लापता बच्चों के सम्बन्ध में सूचना हेतु हेल्पलाइन नम्बर**: 7839861034**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1477

दिनांक-18.08.2026

जोन-उत्तरी/थाना- अलीगंज, लखनऊ

ताक-झांक कर महिलाओं की निजता का उल्लंघन करने के आरोपी किशोर अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

- **पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित किशोर अपचारी, उम्र लगभग 14 वर्ष को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **घटना में प्रयुक्त एमआई कंपनी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है।**
- **बरामद मोबाइल फोन को डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखते हुए नियमानुसार फॉरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना अलीगंज पर शिकायत दी गई कि नामित किशोर अपचारी द्वारा उनके घर की महिलाओं की निजता का उल्लंघन करते हुए छिपकर फोटो/वीडियो बनाए गए हैं।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अलीगंज पर **मु0अ0सं0 154/2026, धारा 77 बीएनएस** बनाम किशोर अपचारी पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना **उ0नि0 श्री संजय कुमार गुप्ता** द्वारा की जा रही है।

प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामित किशोर अपचारी को **विन्ध्यांचल मंदिर क्रासिंग, ताड़ीखाना, मड़ियांव, लखनऊ** स्थित उसके घर से पुलिस संरक्षण में लिया गया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त **एक अदद एमआई कंपनी का मोबाइल फोन** बरामद किया गया है। मोबाइल फोन को डिजिटल साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखते हुए फॉरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है, जिससे उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण कर विवेचना में आवश्यक तथ्यों का संकलन किया जा सके।

02- पुलिस संरक्षण में लिया गया बाल अपचारी-

01. बाल अपचारी, उम्र लगभग **14 वर्ष**

03- बरामदगी-

01. एक अदद **एमआई कंपनी का मोबाइल फोन**

04- पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई-

पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए किशोर अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन को नियमानुसार फॉरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। प्रकरण में डिजिटल एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।